

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 234/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/241) श्री नानुराम मीणा व अन्य बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
25.06.2024	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <p>1. श्री बंशीलाल गर्ग - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी</p> <p><b>अनवान</b></p> <p>1. श्री नानुराम पिता श्री रामलाल मीणा, निवासी डाबर की चौकी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्री प्रभुलाल पिता श्री रामलाल मीणा, निवासी डाबर की चौकी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय श्री नन्दलाल पिता प्रभुलाल मीणा, निवासी डाबर की चौकी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 3. श्री दौलतराम पिता श्री रामलाल मीणा, निवासी डाबर की चौकी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।</p> <p><b>अपीलार्थी</b></p> <p>1. सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़।</p> <p><b>प्रत्यर्थी</b></p> <p>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 23.08.2023, प्रकरण संख्या 33/2022, बउनवानी श्री नानुराम मीणा व अन्य बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़</p> <p><b>निर्णय</b></p> <p>दिनांक 25.06.2024</p> <p>उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 23.08.2023, प्रकरण संख्या 33/2022, बउनवानी श्री नानुराम मीणा व अन्य बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़, के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ समक्ष पटवारी हल्का रोलाहेडा द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम चन्देरिया की आराजी संख्या 2335, 2334, 2286 रकब 0.73 हैक्टेयर किस्म चारागाह अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 26.08.2021 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने का आदेश प्रसारित किया।</li> <li>तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 26.08.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 23.08.2023 पारित किया।</li> </ul> <p>न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 23.08.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 21.06.2024 को सुनी गई।</p> <p>विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि आराजी संख्या 2335, 2334, 2286 रकबा 0.73 हैक्टेयर पूर्व में बिलानाम थी जिस पर</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 234/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/241) <b>श्री नानुराम मीणा व अन्य बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>भूप्रबन्ध के दौरान भूप्रबन्ध अधिकारियों ने बिना किसी न्यायालय के आदेश उक्त आराजीयात को चारागाह में परिवर्तन कर दिया, जिसका अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को नहीं था। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलार्थी का कब्जा 70-80 वर्षों पूर्व से चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को दस्तावेज एवं अन्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता के उपस्थित होने के बावजूद प्रकरण में एकतरफा एवं गुणावगुण के बगैर ही कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करने में भूल की है, जिसकी अपील जिला कलक्टर समक्ष प्रस्तुत की गई लेकिन जिला कलक्टर द्वारा भी उक्त अपील को बिना किसी आधार के खारिज करने में भूल फरमाई है। उपरोक्त आराजीयात पूर्व में पंचायत हल्का पुठोली तहसील गंगरार में स्थित थी। तत्समय उपरोक्त आराजीयात बिलानाम काबिल काश्त थी एवं डाबर की चौकी के निवासी पहले गांव पुठोली में निवासरत थे बाद में यहां आकर बस गये, जहां इनके पूर्वजों ने उपरोक्त आराजीयात पर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसे लगभग 80-90 वर्ष पूर्व हो चुके है। अपीलार्थी व उनके पूर्वजों ने लाखों रूपयों की लागत से उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सबूत नहीं लेने में कानूनी भुल फरमाई है। उपरोक्त आराजीयात ग्राम पंचायत पुठोली तहसील गंगरार में स्थित थी जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा काफी पुराना होने से दिनांक 09.01.1989 को ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया जिसमें उपरोक्त चारागाह भूमि को चारागाह से खारिज करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार जब यह भूमि बिलानाम थी, तब तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीगण को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया, तत्समय जो कार्यवाही चली, उसमें अपीलार्थीगण के पुराने कब्जे का हवाला दिया गया एवं तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि अपीलार्थी का कब्जा 23-24 वर्ष पुराना है जिस पर तहसीलदार ने 05.12.1990 को यह सिफारिश करते हुए कि अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा है एवं अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार है, जिससे उपरोक्त आराजीयात अपीलार्थीगण के नाम नियमन की जानी चाहिए, जिस पर उन्होंने निर्णय पारित कर भू-आवंटन कमेटी के लिए उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पत्रावली प्रस्तुत कर दी। न्यायालय के आदेश के बाद अपीलार्थीगण को यह आश्वस्त कर दिया गया कि उपरोक्त कृषि भूमि उनके नाम नियमन हो जावेगी और उसके उपरान्त अपीलार्थी उक्त भूमि पर निर्बाध कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अपीलार्थी अनुसूचित जाति जनजाति के होकर अनपढ़ है, उनके परिवार के भरण पोषण केवल इस आराजी पर काश्त से ही होता है, उक्त भूमि को अपीलार्थी द्वारा उपजाउ एवं कृषि योग्य बनाया है। उक्त स्थिति पर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित कर दिये जो काबिल निरस्त के है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को अपास्त करने का अनुरोध किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994, पेज 204, आरआरडी 1994 पेज 266, आरआरटी 2003(2) पेज 1027, आरआरटी 2003(2) पेज 957, आरआरटी 2007(1) पेज 27 प्रस्तुत किये।</p> <p><b>प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार</b> द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिस पर केवल अतिक्रमी के बेदखली के प्रावधान है।</p> <p>हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील में के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 234/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/241) <b>श्री नानुराम मीणा व अन्य बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>चित्तौड़गढ़ समक्ष पटवारी हल्का रोलाहेडा द्वारा धारा-91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम चन्देरिया की आराजी संख्या 2335, 2334, 2286 रकब 0.73 हैक्टेयर किस्म चारागाह अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 26.08.2021 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं शास्ति 50 रूपये अधिरोपित करते हुए राजकोष में जमा करने का आदेश प्रसारित किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 26.08.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 23.08.2023 पारित किया। उक्त निर्णयों से व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।</p> <p>पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को किसी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।</p> <p>दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलार्थी न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जगपाल सिंह वगैरह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के प्रकरण (1132/2011 आर.एल.डब्ल्यू. (सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 389) में सामुदायिक भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण व नियमन के संबंध में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-</p> <p>We find no merit in this appeal. The appellants herein were trespassers who illegally encroached on to the Gram Panchayat land by using muscle power/ money power and in collusion with the official and even with the Gram Panchayat. We are of the opinion that such kind of blatant illegalities must not be condoned. Even if the appellants have</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 234/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/241) श्री नानुराम मीणा व अन्य बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>built houses on the land in question they must be ordered to removed their constructions, and possession of the land in question must be handed back to the Gram Panchahat. Regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village. The letter dated 26-9-2007of the Government of Punjab permitting regularization of the possession of these unauthorised occupants is not valid. We are of the opinion that that such letters are wholly illegal and without jurisdiction. In our opinion such illegalities cannot be regularized. We cannot allow the common interest of the villagers of suffer merely because the unauthorized occupation has subsisted for many years."</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से यह अभिनिर्णीत किया है कि सामुदायिक भूमियों के नियमन के संबंध में यदि किसी राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी भी की गई है तो ऐसी अधिसूचनाएँ व्यर्थ एवं शून्य हैं। उन्होंने व्यापक जनहित में सामुदायिक भूमियों पर से अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त एवं बिना देरी के कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजी चारागाह की भूमि है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की होकर सार्वजनिक भूमि है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन करने उक्त दृष्टांत धारा-136 एलआर एक्ट की कार्यवाही से संबंधित है जबकि यह प्रकरण धारा-91 एलआर एक्ट की कार्यवाही का है। ऐसे प्रस्तुत दृष्टांत प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से इस प्रकरण में पर लागु नहीं होते है।</p> <p>अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को बेदखल करने व कब्जा हटाने का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।</p> <p>अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार <b>अपील अपीलान्ट अस्वीकार</b> की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2023 एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 26.08.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>(सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	